(1)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

पुनरीक्षण प्रकरण क्र० /2014

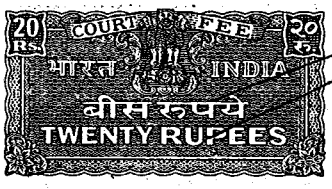

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

691 / 30.9.14

R. 3752-III/14

1- महेश प्रसाद तनय श्यामसुन्दर

2- सुरेन्द्र कुमार तनय महेशप्रसाद

3- अंकित कुमार तनय महेश प्रसाद सभी निवासीगण ग्राम मरहा, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ---- आवेदकगण/ निगराकार

3468 / 29.10.17

वनाम

1- हीरालाल तनय श्यामसुन्दर गुप्ता

2- सुशीला पत्नी सुरेश कुमार

3- शीला उर्फ बसन्ती पत्नी स्व० मोतीलाल

4- जवाहरलाल तनय श्यामसुन्दर सभी निवासीगण ग्राम मरहा तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ---- अना०/गैर निगराकारगण

श्री. शिवप्रसाद द्विवेदी .एड द्वारा आज दिनांक 30.9.14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन् 1959 विरुद्ध आदेश श्री मान अपर कमि० रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र० 164/ अपील /12-13 मे पारित आदेश दिनांक 14-7-14

मान्यवर,
पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारोंपर प्रस्तुत है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14-7-14 सर्वथा विधि विधान तथा न्यायिक प्रक्रिया, सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- अधीनस्थ न्यायालय केसमक्ष दायर अपील ग्राह्यं विचारणीय नहीथी -2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3752–दो/2014 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2015	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अभि0 उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि यह प्रकरण मुख्यतः आपसी बटवारे से संबंधित है । यह भी बताया गया कि बटवारा पुल्ली उभयपक्षों की सहमति से तैयार की गयी थी जिसके आधार पर नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक–91/अ–27/01–02 में पारित आदेश दिनांक–16.2.10 से बटवारा एवं नामांतरण किया गया । इसी आधार पर उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे ।इसी बटवारे के आधार पर अनावेदक हीरालाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि जय प्रकाश एशोसिएट जे0पी0 नगर रीवा को विकय कर दी गयी । ऐसी सिस्थति में ज बवह अपने हिस्से की भूमि विकय कर चुका है तब उसे अन्य हिस्सेदारों की भूमि में हक प्राप्त करने की कार्यवाही करने की का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । उपरोक्त तथ्यों को प्रस्तुत कर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया है । प्रकरण में प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–14.7.14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । आधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण अभी विचाराधीन है जिसमें कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय विचार करने के आदेश के साथ धारा 32 के तहत प्रस्तुत आपत्ति आवेदन	

R-3752/III/14

अमान्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने का आदेश दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–14.72014 से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का निराकरण उस आपत्ति को अमान्य करते हुए किया है, हालांकि इस बावत् अपर आयुक्त द्वारा कोई बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, जो उन्हें करना चाहिए था । अपने आदेश दिनांक–14.7.14 क पैरा कमांक–4 में अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर बिचार अंतिम निराकरण के समय करने का उल्लेख किया है तथा इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण बोलते हुए आदेश के द्वारा पहले करें, तथा ऐसा करने के लिए यदि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पहले बुलाना आवश्यक हो तो उन्हें भी आहूत करें । प्रकरण के अंतिम निराकरण संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार तदुपरांत की जाए । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तार पर समाप्त किया जाता है । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य